

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण  
बहादुर सिंह  
किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

बनाम

अप्रार्थीगण  
हनुमान सिंह वगै  
मुकदमा नं. 127 / 2016

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
29.12..2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री अम्बालाल पाराशर ने पेश कर अस्थाई निशेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का सुतलन तथा अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर मौजा मेरवास के खसरा नं 35 रकबा 41-03 बीघा भूमि के बैचान/रहन/गिरवी आदि हस्तान्तरण पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को अस्थाई निशेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे पक्षकरो को सम्मन जरिये रजिस्टर ऐडी भिजवाये। पत्रावली दिनांक 10.02.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p>10.2.17 अज्ञात/अज्ञान के अधिवक्ता अज्ञात/अज्ञान के अधिवक्ता पत्रावली नं. 01 से 04 का जाबक फेसडमा शक्ति पत्रावली के पत्रावली नं. 01 से 04 का जाबक फेसडमा शक्ति पत्रावली के 27.2.17 को</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता 27/2/17 पत्रावली नं. 01 से 04 का जाबक फेसडमा शक्ति पत्रावली के अवकाश पर एसे कर है, इसलिए प्रकरण उम्मेदवारों के नाम: 157.3.17...को प्रस्तुत करें।</p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता पत्रावली नं. 01 से 04 का जाबक फेसडमा शक्ति पत्रावली के अवकाश पर एसे कर है, इसलिए प्रकरण उम्मेदवारों के नाम: ...को प्रस्तुत करें।</p>	

15-3-17

वकुलाद उपा. वकील जागी के कोरेडा 39 नि.  
7 सी.पी.सी. का धर्मनापत्र पेश किया जाते वकील  
अपारी की जाते डिपॉजिटरी वकील अपारी के  
वकील जागी के धर्मनापत्र कोरेडा 39 R-7 सी.पी.  
सी. पर सुतराज का धर्मना पत्र पेश किया जाते  
वकील जागी के डिपॉजिटरी पत्रावली प्रतिकरी  
अपारी के 5, 6 की तलकी व धर्मनापत्र जागी  
वकील के कोरेडा 39 R-7 के कोरेडा डेटा डिपॉजिटरी  
3.4.17 को पेश हो।

*(Signature)*

3.4.17

वकुलाद उपा. वकील अपारी के जागी द्वारा  
उल्लूत धर्मनापत्र कोरेडा 39 नि. 7 सी.पी.सी.  
का जकाव पेश किया जाते वकील जागी के  
डिपॉजिटरी गरी। जागी द्वारा उल्लूत धर्मना  
पत्र कोरेडा 39 नि. 7 के कोरेडा व अपारी  
के 5, 6 की तलकी हेतु पत्रावली डिपॉजिटरी  
01.5.17 को पेश हो।

*(Signature)*

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण  
अपकार पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
उनके समुक्त दिनांक...की  
प्रस्तुत करें। 20/12/17

20-12-17

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

20.12.17

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण  
अपकार पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
उनके समुक्त दिनांक. 15.12.17 को  
प्रस्तुत करें।

15.12.17

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण  
अपकार पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण  
उनके समुक्त दिनांक. 25.12.18 को  
प्रस्तुत करें।

*(Signature)*

# FORM NO. 3

## फर्द अहकाम आदेश सूची (ऑर्डर सीट) (नियम 28)

न्यायालय.....

बनाम.....

प्रकरण की किस्म.....

प्रकरण की संख्या..... वर्ष.....

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
<p>26.2.18</p> <p>53/18</p>	<p>वकुलाय डफा, वकील अपराधी ने ऑफिसर कधीन 0.39 नियम 3-क सी.पी.सी. का पेशा किया। एवाकली ऑर्डर 39 नियम 7 सी.पी.सी. के ऑर्डर व अपराधी सं 5, 6 की तालकी डेक एवाकली डि 5.3.18 को पेशा की।</p> <p>वकुलाय डफा</p> <p>पञ्जाब/हरियाणा के न्यायालय</p> <p>जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में/प्रकरण</p> <p>उपरोक्त प्रकरण</p> <p>उपरोक्त दिनांक 14.3.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पञ्जाब/हरियाणा के न्यायालय</p> <p>14.3.18</p> <p>जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में/प्रकरण</p> <p>उपरोक्त प्रकरण</p> <p>उपरोक्त दिनांक 4.4.18 को प्रस्तुत करें।</p> <p>पञ्जाब/हरियाणा के न्यायालय</p> <p>4.4.18</p> <p>जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में/प्रकरण</p> <p>उपरोक्त प्रकरण</p> <p>उपरोक्त दिनांक 2.5.18 को प्रस्तुत करें।</p>	<p></p>

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

23-10-18 पत्रावली न्याय क्रम के 67C शिविल 2018 के पत्रावली के अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 22.10.18 को प्रस्तुत करें।  
P.O. सा. ड्राफ्ट कार्य के चपल है

22-2-19 पत्रावली पेश हुई। वक्र- उप.। वकील प्रतिवादी ने 0-39 R-7 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलायी गयी। वक्र. दर. प्रा. पत्र की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते दर. आदेश दिनांक 3.6.19 को पेश हो।

3.6.19 पत्रावली पेश हुई। वक्र- उप.। वकील प्रतिवादी ने 0-39 R-7 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलायी गयी। वक्र. दर. प्रा. पत्र की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते दर. आदेश दिनांक 3.6.19 को पेश हो।  
उपस्थित अधिकारी  
जायस/पत्रावली नो.  
Hoteel  
19.6.19  
3.6.19

19.6.19 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अग्रण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14.8.19 को प्रस्तुत करें।

14.08.19 पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अग्रण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 09.10.19 को प्रस्तुत करें।

9.10.19 लखनऊ जज्य कमीटी वरहम शा. पत्र 039/R-7 CPC हेतु दिनांक: 9.12.19 को पेश हो

तारीख  
देश

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम को तामिल  
में जारी हुये

**पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता**

9.12.19  
पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट धी/धरम  
सबकाश पर मर्ग हु है, इसलिए प्रकरण  
उसके समक्ष दिनांक 17.11.20 को  
प्रस्तुत करें।  
e

038 कि 7  
व ~~प्रकरण~~  
प्रोटेक्ट  
17/11/20

17/20

वक्राम उपर कसम प्रमाण - 0-39, R-7 CBC हेतु  
लिफ्त प्राप्त है। पञ्जाबी सिगरेट: 20/3/20 को पर  
है।

23/20  
पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट धी/धरम  
सबकाश पर मर्ग हु है, इसलिए प्रकरण  
उसके समक्ष दिनांक 7/5/20 को  
प्रस्तुत करें।  
e

7/5/2020 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट धी/धरम  
सबकाश पर मर्ग हु है, इसलिए प्रकरण  
उसके समक्ष दिनांक 16/06/2020 को  
प्रस्तुत करें।

**पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता**

16/20  
पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट धी/धरम  
सबकाश पर मर्ग हु है, इसलिए प्रकरण  
उसके समक्ष दिनांक 20.7.20 को  
प्रस्तुत करें।

संसार/पञ्चकारण क अधिबन्ध

247.20 (2021) 1) ...  
गोठालीन अधिबन्ध ...  
...  
... 19.02 ...

...

तारीख  
आदेश

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम को तामिल  
में जारी हुये

10/5/22, वसुजाय डप/ प्रार्थना पत्र 039/R7 CPE पर  
वक्त हेतु सक्षम चर्चे की शक्य  
दिना ज्ञात है फिलाल दिनांक 27/6/22  
के पेश हो

जज  
पुनः प्रत्यक्ष  
(पुनः प्रत्यक्ष) जज

27/6/22 पत्रावली प्रदत्त की प्रार्थना पत्र से  
संबंधित मूल वाद व आदेशों का प्रियक  
11 से वादित होने से खारिज  
हो चुका है कि प्रार्थना पत्र मूल वाद  
के अन्तर्गत से खारिज किया  
जाता है फिलाल वाद ज्ञात (पुनः प्रत्यक्ष)  
दाखिल दफ्तर रहे

जज  
पुनः प्रत्यक्ष  
(पुनः प्रत्यक्ष) जज